

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 88 / 2023(GCMS : 2023/129)

1. जंगीर कौर बुटा सिंह जाति बावरी, निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. शेर सिंह पुत्र श्री बुटा सिंह जाति बावरी निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. दासराम पुत्र अमरदास पुत्र श्री कुशलाराम जाति बावरी निवासी खैरुवाला, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. सीतो बाई पुत्री अमरदास पुत्र श्री कुशलाराम जाति बावरी निवासी खैरुवाला, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. जम्मुराम पुत्र अमरदास पुत्र श्री कुशलाराम जाति बावरी निवासी खैरुवाला, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. रामप्यारी पुत्री अमरदास पुत्र श्री कुशलाराम जाति बावरी निवासी खैरुवाला, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5. वीरू सिंह पुत्र अमरदास पुत्र श्री कुशलाराम जाति बावरी निवासी खैरुवाला, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
6. महेन्द्र कौर पत्नी बचन सिंह पुत्री कुशलाराम निवासी बुटर तहसील मोघा (पंजाब)
7. बचना राम पुत्र कुशलाराम जाति बावरी निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
8. जगसीर राम पुत्र ठाकर राम निवासी हाथियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
9. शमो बाई पत्नी नाथराम निवासी तख्तहजारा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
10. लक्ष्मी बाई पत्नी नत्थूराम निवासी गुड़िया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. तारो बाई पत्नी मक्खन सिंह निवासी राम सिंह वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़
12. छिन्दो बाई पत्नी राजूराम निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. रजो बाई पत्नी कलवन्त सिंह निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
14. जल कौर पुत्री बुटाराम जाति बावरी निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
15. करनैल सिंह पुत्र बुटाराम जाति बावरी निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
16. गोगा बाई पुत्री बुटाराम जाति बावरी निवासी खैरुवाला तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर
17. पूनम कुंवर, तहसीलदार, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर



— — — अप्रार्थीगण

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर




09.10.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा ने यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183-बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचाराधीन प्रकरण संख्या 04/2013 अनवानी दासराम आदि बनाम बुटाराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुत्तकिली करने की प्रार्थना के साथ पेश किया है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण 04/2013 अनवानी दासराम आदि बनाम बुटाराम आदि अन्तर्गत धारा 183-बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुत्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशदीप)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर